सरकारी योजनाएं एवं कानून

(खाद्य सुरक्षा, रोजगार गारण्टी, वृद्धावस्था पेंशन, जल प्रबंधन, विकलांग, निर्माण मजदूर और महिला एवं बच्चों के संदर्भ में)

वांगड़ मजदूर किसान संगठन

सीमित वितरण हेतु

जनहित में
पॉपुलर एजुकेशन एंड एक्शन सेंटर (पीस) की ओर से संकलित,
आस्था संस्थान, उदयपुर के लिए प्रकाशित

दिसंबर, 2017

योजनाएं

1. भामाशाह योजना
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना
3. रोजगार गारण्टी (मनरेगा) योजना
4. वृद्धावस्था पेंशन योजना
5. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष योजना
6. पन्नाधाय जीवन अमृत योजना
7. इंदिरा आवास योजना
8. बस्ती विद्युतीकरण योजना
9. छात्रगृह किराया योजना

जल प्रबंधन योजना

10. जल संग्रहण संरचनाओं (एनीकट) का निर्माण एवं पुनरूद्धार योजना
11. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना
12. हैण्डपम्प स्थापना योजना

विकलांग सहायता योजनाएं

13. विकलांग पेंशन योजना
14. विकलांग विवाह अनुदान योजना
15. विकलांग माता-पिता के बच्चों का पालनहार योजना

महिला एवं बाल विकास योजनाएं

16. आंगनबाड़ी योजना (समेकित बाल विकास योजना)
17. विधवा और परित्यक्ता पेंशन योजना
18. विधवा पुत्री विवाह अनुदान योजना
19. अनाथ पालन हार योजना
20. विधवा माता पालनहार योजना
21. मातृत्व लाभ योजना
22. जननी सुरक्षा योजना
23. सहयोग योजना
24. मुख्यमंत्री राजश्री योजना

निर्माण मजदूर योजनाएं

25. निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य बीमा योजना
26. निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना
27. निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना
28. निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना
29. शुभ शक्ति योजना
30. सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने पर सहायता योजना
31. प्रसूति सहायता योजना
32. सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना
33. निर्माण श्रमिक औजार/टूलकिट सहायता योजना
34. अटल पेंशन योजना

1. भामाशाह योजना

एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए नारी को सशक्त और आत्म-निर्भर बनाने की जरुरत है, क्योंकि नारी का सशक्तिकरण समाज का सशक्तिकरण है। राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन एवं राजकीय सेवाओं के प्रभावी वितरण हेतू भामाशाह योजना लागू की गयी।

भामाशाह योजना के नामांकन के लिए 15 अगस्त, 2014 से शिविर का आयोजन किया जा रहा है इस योजना में परिवार को आधार मानकर नामांकित परिवार की महिला मुखिया को भामाशाह कार्ड दिया जाता है।

पात्रता

- राजस्थान का निवासी हो।
- 21 वर्ष से अधिक आयु की महिला को मुखिया के रुप में नामांकन।
- यदि परिवार में महिला नहीं है तो पुरुष मुखिया हो सकता है।
- यदि परिवार में 21 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति नहीं है तो सर्वाधिक आयु का व्यक्ति मुखिया होगा।

आवश्यक दस्तावेज

- परिवार के सभी सदस्यों के अलग-अलग फोटो।
- परिवार के मुखिया के कोर बैंक समर्थ बैंक खाते की प्रति।
- परिवार के मुखिया व अन्य सदस्य की आधार संख्या/आधार नामांकन रसीद।
- बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन बिल की प्रति।
- मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट की प्रति।
- मूल निवास, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की प्रति।
- परिवार के सदस्यों की बैंक पास बुक, आधार संख्या/आधार नामांकन की रसीद की प्रति।
- किसी भी राजकीय योजना जिससे परिवार लाभावित हो रहा है/होगा जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, बी.पी.एल कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड इत्यादि के दस्तावेज की प्रति।

योजना क्रियान्यवयन अधिकारी

जिला स्तर पर - जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपनिदेशक/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, एसीपी, सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग।

ब्लॉक स्तर पर - उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी प्रोग्रामर।

ग्राम पंचायत स्तर पर - ग्राम सेवक एवं पटवारी।

क्या मिलता है (लाभ)

- पेंशन, मनरेगा, छात्रवृति, जननी सुरक्षा योजना जैसी सभी योजनाओं की सहायता राशि बिना किसी विलम्ब के सीधे बैंक खाते में जमा हो जाती है।
- राशन सामग्री परिवार के मुखिया या सदस्य के अलावा कोई और नहीं ले सकता।
- ग्रामीण क्षेत्र जहां बैंकिग सुविधा नहीं है, वहां लाभार्थी घर के आसपास बैंकिग संवादकर्ता/अटल सेवा केन्द्र/ई-मित्र केन्द्र पर उपलब्ध माइक्रो एटीएम मशीन से बैंक द्वारा जारी किये गये एक्टिव रूपे कार्ड/एटीएम कार्ड से रुपये निकाल सकते है। यदि लाभार्थी के खाते में आधार संख्या दर्ज है तो माइक्रो एटीएम पर अंगूठे के निशान से भी रुपये निकाल सकते है।
- किसी भी योजना की सहायता/राशि वास्तविक हकदार व्यक्ति या उसके परिवार को ही दी जाती है।
- किसी भी योजना की सहायता/राशि तथा राशि निकालने की जानकारी मोबाइल पर दी जाती है।
- भामाशाह कार्ड परिवार के पहचान एवं निवास (पता) के दस्तावेज के रुप में मान्य।
- भामाशाह कार्ड जारी होने पर बीपीएल/स्टेट बीपीएल/अन्त्योदय/अन्नपूर्णा परिवार को एक मुश्त 2000 रु की सहायता राशि मिलती है।

नोट - सभी सरकारी योजनाओं की सहायता/राशि घर के नजदीक शीघ्र प्राप्त करने के लिए परिवार के सभी सदस्यों का भामाशाह नामांकन करवाना होता है जो कि निम्न स्थानों पर मुफ्त में होता है-

- भामाशाह नामांकन/सीडिंग शिविरों में।
- ई-मित्र/अटल सेवा केन्द्रों पर।

- भामाशाह नामांकन करवाते समय सरकारी योजनाओं जिनसे सहायता/ राशि प्राप्त होती है, की जानकारी जैसे- पेंशन धारक का पीपीओ नम्बर, नरेगा भुगतान हेतु नरेगा जॉब कॉर्ड, राशन हेतु राशन कार्ड संख्या, बीपीएल कार्ड नम्बर जुड़वाने होते हैं।

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की मंशा है की देश में लोगों को सम्पूर्ण जीवन काल में खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा सके, जिससे लोग सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 राज्य में 2 अक्टूबर 2013 से चलाई जा रही इस योजना में पात्र परिवारों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खाद्यान प्रदान कर खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाती है।

कानून के तहत लोगों के मुख्य हक़

- राशन का अधिकार – ग्रामीण क्षेत्रों में 69 प्रतिशत परिवारों को राशन का अधिकार ।
- पात्र परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो प्रतिमाह 2 रु प्रति किलो राशन का अधिकार।
- पोषाहार का अधिकार – 6 माह से 6 साल तक के प्रत्येक बच्चे को आंगनबाड़ी के माध्यम से उम्र आधारित मुफ्त पोषाहार का अधिकार।
- प्रत्येक गर्भवती व धात्री माताओं को आंगनबाड़ी के माध्यम से गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म के 6 माह तक पोषणयुक्त भोजन का अधिकार।
- मध्याह्न भोजन का अधिकार – 6 से 14 वर्ष के 8वीं कक्षा तक के बच्चों को स्कूल में मुफ्त मध्याह्न भोजन का अधिकार।
- मातृत्व लाभ का अधिकार – प्रत्येक गर्भवती धात्री महिलाओं को 6000 रु मातृत्व लाभ का अधिकार।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना हेतु पात्रता सूची

- बी.पी.एल.।
- स्टेट बी.पी.एल.।
- अन्त्योदय परिवार ।
- अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी ।
- ऐसे ए.पी.एल. परिवार जो- वृद्धा पेंशन, एकल नारी पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, महानरेगा में 2009-10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार, सहरिया एंव कथौडी़ जनजाति परिवार।

- श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक ।
- वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी ।
- घुमन्तु जातियां जैसे वन वागरिया, गाडीयालुहार।

उपखंड स्तर पर विशेष शिविर- हर माह में दूसरे व चौथे गुरुवार को

- ऐसे व्यक्ति जिनके अंगुलियों के निशान नहीं होने से पोस मशीन पर नहीं आते हैं और राशन से वंचित हैं वे एस.डी.ओ. से सत्यापन करवाकर बिना पोस मशीन राशन ले सकते हैं।
- ऐसे वृद्धजन एवं विशेष योग्यजन जो राशन दुकान तक जाने में असमर्थ हैं वो एस.डी.ओ. से सत्यापन करवाकर अन्य व्यक्ति को नामित करवा सकते हैं।

नोटः- ऐसे ए.पी.एल. पात्र परिवार जिनका खाद्य सुरक्षा सूची में नाम नहीं जुड़ा है एवं ऐसे ए.पी. एल. पात्र परिवार जिनका सत्यापन नहीं हो पाने से खाद्य सुरक्षा सूची से नाम कट गया है। ऐसे समस्त ए.पी.एल. परिवार उपखंड स्तर पर अपना नाम जुड़वाने के लिए अपील कर सकते हैं।
टोल फ्री नम्बरः- 18001806127

3. रोजगार गारण्टी कानून (मनरेगा)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम भारत में लागू एक रोजगार गारण्टी योजना है। यह योजना 2006 से शुरू है, इसमें प्रत्येक वर्ष ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध होता है। इसमें प्रतिदिन 192 रु. की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी है। प्रति परिवार 100 दिनों का रोजगार (या बेरोजगारी भत्ता) सक्षम एवं इच्छुक व्यक्तियों को हर वित्तीय वर्ष में प्रदान किया जाना जाहिए।

पात्रता

- ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार जिनका जॉब कार्ड बना हुआ है।

आवश्यक दस्तावेज

- जॉब कार्ड।, आवेदन फॉर्म की रसीद।, बैंक की पास बुक।

आवेदन पत्र प्राप्त करने का स्थान- फॉर्म नम्बर 6, ग्राम पंचायत, उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा वार्ड पंच।

आवेदन जमा करवाने का स्थान- ग्राम पंचायत कार्यालय।

देय राशि- आवेदन फॉर्म की रसीद साल (जिस साल में रसीद दी गई है) में अधिकतम 100 दिन काम एवं काम अनुरुप मजदूरी (मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी दर 192 रु.) है।

जिन मजदूरों को आवेदन करने के बाद 15 दिन में काम नहीं मिला है, उनको बेरोजगारी भत्ता देय है। इसके लिए कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय नरेगा से आवेदन पत्र लेकर उसे भरने के बाद आवेदन पत्र के साथ आवेदन की पंचायत द्वारा दी गयी विवरण सहित रसीद जिसमें आवेदक का नाम व दिनांक अंकित हो, को कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय नरेगा में जमा करना होगा, इसके बाद आवेदक को न्यूनतम मजदूरी का एक चौथाई एक महीने तक और न्यूनतम मजदूरी का आधा एक माह बाद जब तक 100 दिन की न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न हो जाये, देय है।

4. वृद्धावस्था पेंशन योजना

वृद्धावस्था पेंशन में महिला की उम्र 55 वर्ष तथा पुरुष की उम्र 58 वर्ष तय की गयी है, इस उम्र या इससे अधिक उम्र के वृद्धजन ही इसके लिये हकदार हैं।

पात्रता

- राजस्थान के मूल निवासी हो।
- आवेदक पुरुष की उम्र 58 वर्ष तथा महिला की उम्र 55 वर्ष हो।

आवश्यक दस्तावेज

- राशन कार्ड की प्रतिलिपी।
- पहचान पत्र की प्रतिलिपी।
- पासपोर्ट साइज के तीन फोटो।
- तहसीलदार या आर.आई की जांच रिपोर्ट।

आवेदन करने का स्थान - ग्राम पंचायत, नगर पालिका, विकास अधिकारी कार्यालय।

सहायता राशि - 500 रुपये प्रतिमाह। 75 वर्ष की उम्र होने पर 750 रुपये प्रतिमाह।

5. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष योजना

यह योजना राजस्थान में चलाई जा रही है। इस योजना के अर्न्तगत परिवार के किसी भी सदस्य का सभी राज्य चिकित्सालयों के इंडोर और आउटडोर में मुफ्त इलाज किया जाता है और जरूरत पड़ने पर एम्स, नई दिल्ली और पीजीआई, चंडीगढ़ में रेफर भी किया जाता है। इस योजना की शुरूआत 2009 में की गयी।

पात्रता

बी.पी.एल. कार्ड धारी, एच.आई.वी. मरीज, वृद्धावस्था या विधवा या विकलांग पेंशन धारी या थेलिसमिया या हिमोफिलिया के रोगी।

आवश्यक दस्तावेज

- मुख्यमंत्री के नाम प्रार्थना पत्र।
- चिकित्सक या चिकित्सालय द्वारा बिमारी में होने वाले व्यय का ब्योरा।
- मेडिकेयर रिलीफ कार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि।

सहायता राशि

- नि:शुल्क जांच व दवाईयां मुफ्त।
- 50,000 रुपये तक सहायता कोष से सहायता।
- हार्ट, कैंसर, किडनी रोगों के लिए चिन्हित निजी अस्पतालों में इलाज करवाने पर 1 लाख रुपये की सहायता।

आवेदन पत्र प्राप्ति एवं जमा करने का स्थान- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर (राजस्थान)।

6. पन्नाधाय जीवन अमृत योजना

केन्द्र सरकार के मापदण्डों के अनुरुप गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) एवं आस्था कार्ड धारी परिवारों के मुखिया/कमाने वाले सदस्य की मृत्यु या स्थाई तथा पूर्ण/आंशिक अपंगता की स्थिति में परिवार को आर्थिक सम्बल देने के उद्देश्य से नि:शुल्क जीवन बीमा सुविधा तथा ऐसे परिवार के कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को छात्रवृति की सुविधा प्रदान करना।

पात्रता

बीपीएल एवं आस्था कार्ड धारी परिवार के कमाऊ सदस्य/ मुखिया की मृत्यु होने पर या अपंगता होने पर।

आवश्यक दस्तावेज

- मृत्यु प्रमाण पत्र, बी.पी.एल कार्ड, राशन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र।

आवेदन पत्र प्राप्त व जमा करने का स्थान- ग्राम पंचायत तथा नगरपालिका।

सहायता राशि

- सामान्य मृत्यु की दशा में- 30,000 रुपये।
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर- 75,000 रुपये।

- पूर्ण विकलांगता होने पर- 75,000 रुपये।
- एक आंख, हाथ व पैर की क्षति होने पर- 37,000 रुपये।
- विमंदित व्यक्ति के 2 बच्चों को 9वीं से 12वीं तक में अध्ययनरत होने पर 100 रुपये मासिक छात्रवृत्ति।

7. इंदिरा आवास योजना

बीपीएल सेन्सेस 2002 के आधार पर चयनित बीपीएल परिवारों में इन्दिरा आवास हेतु तैयार की गयी स्थाई प्रतीक्षा सूची के अनुसार चयनित आवासहीन परिवार एवं ऐसे परिवार जिनके आवास कच्चे है, को योजना के अर्न्तगत लाभान्वित किया जाता है।

पात्रता

चयनित बीपीएल परिवारों में आवासहीन/कच्चे आवासों के परिवारों की तैयारी की गयी स्थाई प्रतीक्षा सूची के वरीयता क्रम के ऐसे परिवार जिनके पास वर्तमान में पक्का आवास नहीं है तथा पूर्व में किसी आवासीय योजना में लाभान्वित नहीं है।

आवेदन जमा करने का स्थान - ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद अथवा नजदीकी ई-मित्र पर 30 रुपये शुल्क के साथ।

आवश्यक दस्तावेज

- राशन कार्ड, पहचान पत्र, जमीन की खाता नकल, बैंक पास बुक।

सहायता राशि

- कुल रुपये - 70 हजार।
- प्रथम किश्त - 17,500, दूसरी किश्त - 42,000 और तीसरी किश्त - 10,500।

अतिरिक्त देय राशि - महात्मा गांधी नरेगा से 90 अकुशल मानव श्रम दिवस अनुमत हैं, के आधार पर 15,570 रुपये तक की राशि दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त स्वच्छ शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि।

- कुल अनुदान 97,570 रुपये।

इन्दिरा आवास में विद्युत विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन नि:शुल्क दिया जाता है।

इन्दिरा आवास में विद्युत कनेक्शन

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के तहत निर्मित इन्दिरा आवास में विद्युत विभाग द्वारा

विद्युत कनेक्शन नि:शुल्क दिया जाता है। इस हेतु निर्मित इन्दिरा आवासों की सूची जिला परिषद द्वारा विद्युत विभाग को भिजवाई जानी आवश्यक है। ताकि ऐसे इन्दिरा आवास में विद्युत विभाग द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के तहत् नि:शुल्क बिजली कनेक्शन दिया जा सके।

8. बस्ती विद्युतीकरण योजना

जनजाति परिवार समूह के रूप में आवासरत नही रहते हुए मुख्य ग्राम से अलग ढाणी एवं फलों में निवास करते है जिससे ग्राम के विद्युतीकृत हो जाने के बावजूद भी इन्हें घरेलू विद्युत संबंधी लाभ नही मिल पाया है। विद्युत वितरण निगम की विभागीय योजनाओं से वंचित ऐसी ढाणियों तक विद्युत तंत्र स्थापित करने हेतु अत्यधिक राशि की आवश्यकता होती है जिसे उन ढाणियों के जनजाति परिवारों द्वारा वहन किया जाना संभव नही हो पाता है अत: 15-20 परिवारों की ऐसी बस्तियों/ ढाणियों को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा विद्युतीकृत किया जाता है।

लाभान्वित वर्ग – मुख्यतया जनजाति परिवार

पात्रता – जनजाति बाहुल्य क्षेत्र

आवेदन प्राप्त और जमा कराने का स्थान- परियोजना अधिकारी, टी.ए.डी.

प्रस्तावों पर स्वीकृति देने वाले अधिकारी - परियोजना अधिकारी, टीएडी विभाग

स्वीकृत राशि

- 5 लाख रुपये तक के कार्यों की स्वीकृति जिला कलेक्टर से स्वीकृति मिलने के बाद परियोजना अधिकारी, टीएडी विभाग ।
- 5 लाख रुपये से अधिक के कार्यों की स्वीकृति राज्य सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद इन प्रस्तावों को आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर अथवा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर को भेजा जाना है।

9. छात्रगृह किराया योजना

इस योजना के अंतर्गत जनजाति के ऐसे छात्र- छात्राऐं जो राजकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की स्नातक तथा स्नात्कोत्तर कक्षाओं में पढ़ते है, उनमें से जिन छात्र- छात्राओं को छात्रावास में स्थानाभाव के कारण आवासीय सुविधा नहीं मिल पाती है और वह किराये के मकान में रहकर नियमित अध्ययन करते हैं, उनको इस योजना के अंतर्गत आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

लाभान्वित वर्ग – अनुसूचित क्षेत्र के राजकीय / निजी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में अध्ययनरत जनजाति के छात्र- छात्राऐं ।

पात्रता

- राजस्थान का मूल निवासी हो ।
- छात्र- छात्राओं के माता-पिता आयकरदाता न हो ।
- वे छात्र एवं छात्राऐं जो छात्रावास में स्थानाभाव के कारण अन्य जगहों पर किराये के मकान में रहकर नियमित अध्ययन कर रहे है ।

आवश्यक दस्तावेज- मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र।

आवेदन प्राप्त और जमा कराने का स्थान- संबंधित महाविद्यालय में जहाँ छात्र- छात्राऐं पढ़ रहे हैं।

प्रस्तावों पर स्वीकृति देने वाले अधिकारी - सम्बंधित जिले का परियोजना अधिकारी, टी.ए.डी.।

स्वीकृत राशि

- 500 रु प्रति छात्र-छात्रा को संभाग मुख्यालय पर/ 400 रु जिला मुख्यालय पर/ 300 रु अन्य स्थानों पर रह कर अध्ययन करने हेतू 10 माह तक देय है ।
- संबंधित छात्र- छात्रा के बैंक खाते में जमा/ कॉलेज के द्वारा भुगतान ।

जल प्रबंधन योजना

10. जल संग्रहण संरचनाओं (एनीकट) का निर्माण एवं पुनरूद्धार योजना

जनजाति क्षेत्र में अवस्थित नदी व नाले अत्यधिक ढलान वाले होने से एक ओर तो वर्षा का जल तीव्र गति से बह कर व्यर्थ चला जाता है दूसरे कटाव भी होता है। इसे रोकने के लिये एनीकट का निर्माण किया जाता है। इस योजना के अर्न्तगत पहले के निर्मित वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की मरम्मत/जीर्णोद्धार भी कराया जा सकता है।

पात्रता - ऐसे कृषक समूह जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक जनजाति कृषकों की भूमि सिंचित हो सके व लाभार्थी जनजाति कृषकों की संख्या भी कुल संख्या का 50 प्रतिशत हो।

आवेदन जमा करने का स्थान - परियोजना अधिकारी, टी.ए.डी.।

सहायता राशि- 5 लाख रुपये तक की लागत के कार्यों की स्वीकृति जिला कलेक्टर से अनुमोदन के पश्चात संबंधित परियोजना अधिकारी टी.ए.डी. द्वारा जारी।

11. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना

नदी, नालों एवं बांधों में उपलब्ध पानी को सिंचाई हेतू, इस योजना में विद्युत मोटर द्वारा पानी को ऊंचा उठाकर सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है। लागत का 10 प्रतिशत भाग श्रम के रुप में लाभान्वितों द्वारा वहन किया जाता है एवं 90 प्रतिशत राशि अनुदान के रुप में टी.ए.डी. विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

पात्रता

- योजना में सम्भावित क्षेत्र के खातेदार कृषक जो योजना की लागत का 10 प्रतिशत अंश अपनी भूमि के अनुपात में वहन करने को सहमत हों।
- ऐसे कृषक समूह जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक जनजाति कृषकों की भूमि सिंचित हो सके।
- लाभार्थी जनजाति कृषकों की संख्या कुल संख्या का 50 प्रतिशत से अधिक हो।

दस्तावेज- बीपीएल क्रमांक व आवेदन पत्र में वर्जित डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपी।
आवेदन कहाँ करना है - परियोजना उप परियोजना अधिकारी, जनजातिय क्षेत्रीय विकास विभाग, डूंगरपुर।

12. हैंडपंप स्थापना योजना

अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति परिवार एक स्थान पर सामूहिक रूप से निवास नहीं करके फलों और ढाणियों में निवास करते हैं, वहां पर उनके लिए साफ पानी की समस्या रहती है। ऐसी स्थिति में उन परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास द्वारा हैंडपंप स्थापना का कार्य किया जाता है।

लाभान्वित वर्ग – मुख्यतया जनजाति परिवार।

पात्रता – जनजाति बाहुल्य क्षेत्र।

आवेदन प्राप्तएवं जमा कराने का स्थान- परियोजना अधिकारी, टीएडी विभाग।
प्रस्तावों पर स्वीकृति देने वाले अधिकारी - परियोजना अधिकारी, टीएडी विभाग।

स्वीकृत राशि

- 5 लाख रुपये तक के कार्यों की स्वीकृति जिला कलेक्टर से स्वीकृति मिलने के बाद परियोजना अधिकारी, टीएडी विभाग।
- 5 लाख रुपये से अधिक के कार्यों की स्वीकृति राज्य सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद इन प्रस्तावों को आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर अथवा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर को भेजा जाना है।

विकलांग सहायता योजनाएं

13. विकलांग पेंशन योजना

यह योजना शारीरिक रुप से असमर्थ लोगों के लिये है, इसके लिये आवेदनकर्ता को 40 प्रतिशत विकलांगता प्रमाण पत्र देय होगा।

पात्रता

- राजस्थान का मूल निवासी हो।
- मेडिकल बोर्ड द्वारा 40 प्रतिशत विकलांग प्रमाण पत्र।
- न्यूनतम आयु 8 वर्ष या अधिक हो।

आवेदन पत्र प्राप्त करने का स्थान

- पंचायत समिति/तहसील कार्यालय।/नगर पालिका/नगर निगम।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय।

आवेदन जमा कराने का स्थान

- ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम।
- नगर निगम एवं विकास अधिकारी कार्यालय।

आवश्यक दस्तावेज

- राशन कार्ड, पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज के तीन फोटो।
- मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत विकलांगता प्रमाण पत्र।

सहायता राशि- 500 रुपये प्रति माह।

14. विकलांग विवाह अनुदान योजना

यह योजना विकलांग व्यक्तियों के विवाह करने पर दिया जाता है, इस योजना का लाभ कम से कम 40 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति को ही दिया जाता है।

पात्रता

- प्रार्थी वयस्क हो, दम्पति में से एक विकलांग हो।
- मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत विकलांगता प्रमाण पत्र।

आवश्यक दस्तावेज

- मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत विकलांगता प्रमाण पत्र।
- शादी का कार्ड, वर वधू के माता पिता का 10 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र।

आवेदन पत्र प्राप्त एवं जमा करने का स्थान- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय।

सहायता राशि- 20,000 रुपये प्रति जोड़ी।

15. विकलांग माता-पिता के बच्चों का पालनहार योजना

ऐसे माता-पिता के बच्चे जिसमें से कोई भी विकलांग पेंशन लेता हो और बच्चे आंगनवाड़ी या स्कूल में पढ़ते हो। यह योजना 2005 में शुरू की गयी।

पात्रता

- माता-पिता में से कोई भी विकलांग पेंशन लेता हो।
- बच्चे आंगनवाड़ी या स्कूल जाते हो।
- बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम हो।

आवश्यक दस्तावेज

- विकलांग प्रमाण पत्र।
- बच्चों का विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र।
- पालनहार का फोटो।
- बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम हो।
- जन्म प्रमाण पत्र।

आवेदन प्राप्त व जमा करने का स्थान- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय।

सहायता राशि

- 5 वर्ष तक के बच्चों को 500 रुपये प्रतिमाह।
- 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 1000 रुपये प्रतिमाह।

महिला एवं बाल विकास योजनाएं

16. समेकित बाल विकास परियोजना (आंगनबाड़ी केन्द्र)

समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम की प्रथम बाल विकास परियोजना बांसवाड़ा जिले की गढ़ी पंचायत समिति में 2 अक्टूबर, 1975 को प्रारम्भ की गई। यह एक केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी प्रकार का प्रशासनिक व्यय भार भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा मिलकर वहन किया जाता है।

कार्यक्रम के उद्देश्य

- 0–6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना।
- बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास के लिए आधार तैयार करना।
- बाल मृत्यु, रूग्णता, कुपोषण तथा बीच में पढ़ाई छोडने वाले बच्चों की दर में कमी लाना।
- पोषाहार–स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु माताओं को प्रशिक्षित करना है।

आंगनबाड़ी केन्द्र

ऐसा स्थान जहां महिलाओं एवं बच्चों को सम्पूर्ण स्वास्थ्य, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पोषण प्राप्त होता है। यह ग्राम एवं बस्ती के बीच में ऐसा स्थान जहां बच्चे सुरक्षित एवं बेहिचक होकर खेल सके तथा पोषाहार प्राप्त कर सकें। आंगनबाड़ी गांव या झुग्गी बस्ती में स्थित, किसी घर के आंगन में मिलने-जुलने का एक ऐसा स्थान है, जहां महिलाओं/ माताओं के समूह अन्य ग्रामीण स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ अपने विचारों का आदान-प्रदान करते है, जिससे महिला एवं बाल विकास को बढ़ावा मिले। आंगनबाड़ी का संचालन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है और सेवा प्रदान करने में सहायिका मदद करती है। आई.सी.डी.एस. की सेवाओं में जनसमुदाय के बीच किए जाने वाले कार्यो को आशा–सहयोगिनी के द्वारा किया जाता है।

समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ मुख्य योजनायें है

I "जननी योजना" आशा सहयोगिनी

0 से 3 वर्ष के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य तथा गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव एवं उनके स्वास्थ्य की देखभाल के प्रति जनसाधारण में चेतना जागृत करने तथा घर पर ही पोषण तथा पोषण सहायक सेवाएं तथा परामर्श उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर आशा सहयोगिनी की नियुक्ति की जाती है।

जननी योजना

इस योजना के अन्तर्गत सहयोगिनियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। यह सहयोगिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोगी के रूप में कार्य करती है। इनका मुख्य कार्य आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नहीं आ पाने वाली गर्भवती स्त्रियों, धात्री माताओं व 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों तक पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस के दिन आंगनबाड़ी केन्द्र की गतिविधियों में सहयोग प्रदान करने के साथ प्रतिदिन घर-घर जाकर आईसीडीएस सेवाएं पहुंचाना है।

II प्रतिरक्षण (टीकाकरण)

राज्य के बच्चों एवं महिलाओं में संक्रामक रोगों से प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए 0–1 वर्ष आयु के बच्चों को टी.बी., गलघोंटु, कालीखांसी, टिटेनस, पोलियों एवं खसरा तथा गर्भवती महिलाओं को टिटेनस के टीके आंगनबाड़ी केन्द्रों पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से लगवाये जाते हैं। सेवा में नवाचार, मातृ–शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन किया जाता है जिसमे आंगनबाड़ी परिक्षेत्र की सभी गर्भवती, धात्री व एक वर्ष तक के बच्चों के समस्त टीके, स्वास्थ्य एवं जांच तथा पोषण संबंधी परामर्श देने हेतु प्रत्येक केन्द्र पर माह के किसी एक गुरूवार को गर्मियों में 8 से 2 तथा सर्दियों में 10 से 5 बजे तक आयोजित होता है। इसमें मेडिकल विभाग से ए.एन.एम. समस्त टीकों सहित उपस्थित होती है। आशा सहयोगिनी संबंधित लाभार्थियों को केन्द्र पर बुलाकर लाती है और आवश्यक टीके एवं स्वास्थ्य जांच को सुनिश्चित किया जाता है।

III स्वास्थ्य जाँच

इस सेवा के अन्तर्गत अति कुपोषित एवं कुपोषित बच्चों का वजन लेकर वृद्धि निगरानी तालिका संधारित की जाती है। प्रसव पूर्व एवं प्रसव उपरान्त महिलाओं की देखभाल एवं बच्चों की स्वास्थ्य जांच स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा करवा कर बीमारी के उपचार हेतु दवाओं का वितरण भी आंगनबाड़ी केन्द्र पर किया जाता है। लाभान्वितों को आयरन–फोलिक एसिड की गोलियों, विटामिन–'ए' की खुराक तथा ओ.आर.एस. के पैकेट का वितरण भी किया जाता है।

IV पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा

आंगनबाड़ी केन्द्र पर यह सेवा गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, नवजात शिशु तथा 6 वर्ष तक के बच्चों की पोषण एवं स्वास्थ्य सबंधी देखरेख के विषय में दी जाती है। इसके अंतर्गत निम्न लिखित बिन्दुओं पर परामर्श दिया जाता है-

- किशोर बालिकाओं को जीवन कौशल, साफ-सफाई, शिक्षा, आईएफए की गोली खाने से होने वाले लाभ आदि के परामर्श दिये जाते है।
- गर्भवती महिला को गर्भ का पता चलते ही टिटनेस का एक टीका लगाना चाहिये तथा

उसके एक माह बाद टिटनेस का दूसरा टीका लगाना चाहिये।

- गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री की जांच कम से कम तीन बार अवश्य करवानी चाहिये।
- गर्भवती महिला को अधिक मात्रा में भोजन करना चाहिये – सामान्य आहार से लगभग एक चौथाई ज्यादा। उसे रात में 8 घंटे की नींद के अलावा दिन में भी 2 घंटे विश्राम करना चाहिए।
- गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान कम से कम तीन महीने तक प्रतिदिन आयरन फॉलिक एसिड की गोली- कुल सौ गोलियां जरूर लेनी चाहिये जिससे उसका हीमोग्लोगबिन स्तर 12 जी/डीएल तक बना रहे।
- जहां तक हो सके प्रसव अस्पताल में ही करवाना चाहिये।
- नवजात शिशु को सबसे पहले निकलने वाला पीला दूध जरूर पिलाना चाहिये, क्योंकि उसमें संक्रमणरोधी गुण और पोषक तत्व होते है।
- पहले छ महीने तक बच्चे को सिर्फ स्तनपान करायें। कोई भी आहार या पेय पदार्थ, यहां तक की पानी न दें।
- हर महीने आंगनबाडी केन्द्र पर अपने बच्चे का नियमित रूप से वजन कराएं।
- पूरे साल में शिशु को सभी जरूरी टीके लगवाएं जिससे उसका उन जानलेवा बीमारियों से बचाव हो सके जो असामान्य वृद्धि, विकलांगता या मृत्यु का कारण बन सकती है।

V शाला पूर्व शिक्षा

समेकित बाल विकास सेवाऐं की 6 सेवाओं में से शालापूर्ण शिक्षा एक महत्वपूर्ण सेवा है, जो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनाबाडी केन्द्रों पर दी जाती है। इसके अंतर्गत बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सृजनात्मक, भावनात्मक, भाषिक तथा सामाजिक विकास संबंधी गतिविधियां करवाई जाती हैं। इन्हीं पर आधारित एक गतिविधि कलेण्डर मुद्रित करवाकर केन्द्रों पर भिजवाया गया है। शालापूर्व शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान का सहयोग भी लिया जा रहा है।

VI सन्दर्भ (परामर्श सेवाएँ)

गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा 6 साल से छोटे बच्चे जो बीमार हों या अतिकुपोषित हों, उन्हें आंगनबाडी कार्यकर्ता एक रेफरल स्लिप के साथ आवश्यकतानुसार निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/कुपोषण उपचार केन्द्र पर भेजती हैं। अगर कोई परिवार बहुत ही गरीब होता है तो उसका आने/जाने का किराया व उपचार व परीक्षण के खर्चे की व्यवस्था भी ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के द्वारा करवाई जाती है।

आंगनबाडी खोलने के मानदण्ड

जनजाति क्षेत्र परियोजना में 300-800 की जनसंख्या पर आंगनबाडी केन्द्र खोले जा सकते हैं। रेगिस्तानी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में जिन गांवों की आबादी बिखरी हुई एवं दूर-दूर फैली हुई है, वहां 300 की जनसंख्या पर भी केन्द्र खोला जाता है जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में 150 से 300 तक की आबादी एवं सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में 150 से 400 तक की आबादी पर मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का प्रावधान किया गया है। आंगनबाडी केन्द्र खोलने में अनु. जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों, आर्थिक- सामाजिक रुप से पिछडे क्षेत्रों एवं शहरी कच्ची बस्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। उपर्युक्त मापदंडों से कम आबादी वाले एक से अधिक गांवों को जोड़कर क्लस्टर बनाते हुए भी आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जा सकते है।

17. विधवा और परित्यक्ता पेंशन योजना

विधवा और परित्यक्ता पेंशन के लिए उम्र की सीमा में छूट है।

पात्रता

- राजस्थान की मूल निवासी हो, पति की मृत्यु हो गयी हो, परित्यक्ता हो।

आवश्यक दस्तावेज

- राशन कार्ड की प्रतिलिपि, पहचान पत्र की प्रतिलिपि।
- पासपोर्ट साइज के तीन फोटो।, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा के लिए)।
- परित्यक्ता होने पर न्यायालय आदेश की प्रति या पंचायत द्वारा लिखित प्रमाण पत्र।

सहायता राशि - 500 रुपये प्रतिमाह, 75 वर्ष की उम्र होने पर 750 रुपये प्रतिमाह।

18. विधवा पुत्री विवाह अनुदान योजना

यह अनुदान विधवा पुत्री के पुर्नविवाह के लिए दिया जाता है। पार्थी की पुत्री की आयु 18 वर्ष से कम न हो तथा वर की आयु 21 वर्ष से कम ना हो।

पात्रता

- राजस्थान का मूल निवासी हो।
- विधवा द्वारा पुर्नविवाह नहीं किया गया हो।
- आवेदक की वार्षिक आय 50,000 रु से अधिक न हो।
- प्रार्थी की पुत्री की आयु 18 वर्ष से कम न हो तथा वर की आयु 21 वर्ष से कम न हो।

- विवाह के 6 माह की अवधि में आवेदन करना अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेज

- पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र, पुत्री की आयु का प्रमाण पत्र।
- राशन कार्ड की प्रति।
- वार्ड मेम्बर/सरपंच/प्रधान/जिलापरिषद् सदस्य का प्रमाणीकरण।
- प्रधान/विधायक की अनुशंषा, बैंक खाता।

आवेदन पत्र प्राप्त व जमा करने का स्थान- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय।

सहायता राशि- 10,000 रुपये प्रत्येक पुत्री, लेकिन दो पुत्रियों से अधिक नहीं (20,000 रुपये से अधिक की सहायता देय नहीं)।

19. अनाथ पालन हार योजना

राज्य में अनाथ बालक, बालिकाओं के लालन-पालन परिवार या निकटतम रिश्तेदार अथवा परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के उद्देश्य से इन बच्चों की जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति को सहायता प्रदान की जाती है।

यह योजना राजस्थान में 2005 से शुरू हो चुकी है।

पात्रता

- माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो या न्यायिक आदेशों के तहत मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो।
- बच्चों के पालन कर्ता की आय 1.20 लाख रुपये वार्षिक से अधिक न हो।
- बच्चों की आयु 18 वर्ष से कम हो।
- आंगनवाड़ी विद्यालय में अध्ययनरत हो।

आवश्यक दस्तावेज

- माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- पालन कर्ता का आय प्रमाण पत्र (तहसीलदार द्वारा जारी)।
- अनाथ बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र।

- विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र।
- निराश्रित होने का सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- बैंक का खाता जो ऑन लाइन हो।

आवेदन पत्र प्राप्त व जमा करने का स्थान- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय।

सहायता राशि

- 5 वर्ष तक के बच्चों को 500 रुपये प्रतिमाह।
- 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 1000 रुपये प्रतिबच्चा (विद्यालय जाना अनिवार्य)
- वस्त्र, जूते, कपड़े, स्वेटर आदि के लिए 2000 रुपये वार्षिक।

20. विधवा माता पालनहार योजना

ऐसे बालक/बालिका जिनके पिता की मृत्यु हो गयी हो या मृत्यु दण्ड अथवा आजीवन कारावास की सजा हो गयी हो। विधवा माता निराश्रित पेंशन हेतु पात्रता रखती हो अथवा विधिवत पुर्नविवाह करने वाली विधवा माता के संतान हो।

पात्रता

- विधवा पेंशन की पात्रता रखती हो।
- पुर्नविवाह नहीं किया हो।
- बच्चों की आयु 18 से कम हो।
- बच्चे आंगनवाड़ी या स्कूल में अध्ययन कर रहे हो।
- अधिकतम 3 संतानों को लाभ।
- वार्षिक आय 1.5 लाख रुपये तक।

आवश्यक दस्तावेज

- पेंशन के पीपीओ की प्रति।
- विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाणपत्र।
- जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की प्रति।
- पालनहार की फोटो, बच्चों की फोटो।

आवेदन प्राप्त व जमा करने का स्थान- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।

सहायता राशि

- पांच वर्ष तक के बच्चों को 500 रुपये प्रतिमाह।
- 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 1000 रुपये प्रतिमाह देय है।

21. मातृत्व लाभ योजना

इस योजना के तहत बच्चे को स्तन पान कराने वाली मां को 6000 रु. दिये जाते है। यह योजना सिर्फ पहली संतान के लिए है। इस योजना की शुरूआत 2015 में हुई।

पात्रता- एक संतान के लिए।

आवश्यक दस्तावेज- बैंक डायरी, आधार कार्ड, जच्चा-बच्चा कार्ड।

आवेदन पत्र प्राप्ति एवं जमा करने का स्थान- आंगनवाड़ी में।

सहायता राशि

- बच्चे के जन्म होते ही 3000 रु और सभी टीकाकरण के बाद 3000 रु.।

22. जननी सुरक्षा योजना

मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने और सरकारी हॉस्पिटल में प्रसवों में वृद्धि लाने के लिए प्रसूताओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है l यह योजना सितम्बर, 2005 वर्ष में प्रारम्भ की गयी ।

लाभान्वित वर्ग

- सभी वर्ग की महिलाएं जिनका प्रसव सरकारी चिकित्सालयों अथवा मान्य निजी अस्पतालों में हुआ है।
- बीपीएल परिवार की वे महिलाएं जिनका प्रसव घर पर हुआ है।

देय सुविधायें

- ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सरकारी हॉस्पिटल में प्रसव कराने पर 1400 रुपये की नकद सहायता राशि।
- 300 रुपये की प्रोत्साहन राशि आशा सहयोगिनी को सरकारी हॉस्पिटल में प्रसव कराने के लिए।

- 300 रूपये की राशि प्रसव पूर्व सुविधायें प्रदान करने के लिए आशा सहयोगिनी को।
- 500 रूपये की राशि बीपीएल परिवार की सभी महिलाओं को घरेलू प्रसव पर देय होते हैं।

आवेदन करने एवं जमा कराने का स्थान- जिन सरकारी चिकित्सालयों अथवा मान्य निजी अस्पतालों में जन्म हुआ है ।

सम्पर्क अधिकारी– संस्था प्रभारी, जहां प्रसव हुआ है।

23. सहयोग योजना

इस योजना के अर्न्तगत राज्य सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बी.पी.एल. परिवारों के सभी वर्गों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जायेगी। यह योजना 2005 से शुरू हो गयी है।

पात्रता

- बी.पी.एल में चयनित हो।
- कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक हो।
- अधिकतम 2 कन्या हेतु देय।

आवश्यक दस्तावेज

- बी.पी.एल कार्ड की प्रति, कन्या का जन्म प्रमाण पत्र, शादी का कार्ड।
- पंचायत समिति सदस्य/सरपंच का प्रमाण पत्र एवं विधायक/प्रधान की अभिशंषा।

आवेदन पत्र प्राप्ति एवं जमा करने का स्थान- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय।

सहायता राशि

- विवाह में 10,000 रुपये की सहायता।
- 10वीं पास होने पर 5000 रुपये।
- स्नातक पास होने पर 10,000 रुपये।

24. मुख्यमंत्री राजश्री योजना

वर्ष 2016 – 17 की बजट घोषणा (124) के अनुसार राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए

मुख्यमंत्री राजश्री योजना 1 जून 2016 को लागू कर दी गयी है।

लाभान्वित वर्ग

- इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता-पिता को 50,000 रुपये का भुगतान किया जायेगा, जिसकी प्रथम दो किश्तें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जाती है।

पात्रता

- राजस्थान का निवासी हो।
- ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म 1 जून, 2016 के बाद हुआ हो।
- राजस्थान राज्य के बाहर की प्रसूता को परिलाभ देय नहीं होगा।
- पहली व दूसरी क़िस्त सभी सरकारी संस्थागत प्रसव से जन्म लेने वाली बालिकाओं को मिलेगी, किन्तु तीसरी तथा अन्तिम क़िस्त उन्हें ही देय होगी, जिनके परिवार में दो से अधिक बालिकाएं नहीं है।
- राज्य के राजकीय एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु मान्य निजी हॉस्पिटल में जन्म लेना आवश्यक होगा।
- वे बालिकाएं लाभ की पात्र होगी जो की सरकारी शिक्षण संस्थानों में शिक्षारत हैं।

आवश्यक दस्तावेज

- माता पिता का आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड बना हो।
- बालिका का जन्म प्रमाण।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड/ममता कार्ड।

आवेदन प्राप्त करने का स्थान- राजकीय चिकित्सालय अथवा मान्य निजि हॉस्पिटल में प्रसव कराया जाना और आवेदन करना1

आवेदन जमा कराने का स्थान- राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर।

प्राप्त सुविधायें

- बालिका की माता को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने पर 2,500 रूपये की राशि।
- बालिका के 1 वर्ष की उम्र पूरी होने एवं सभी टीके लगने पर बालिका के नाम पर 2,500 रूपये की राशि।

- बालिका के किसी भी सरकारी स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर उसके नाम से 4,000 रूपये की राशि।
- बालिका के किसी भी सरकारी स्कूल में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर उसके नाम से 5,000 रूपये की राशि।
- बालिका के किसी भी सरकारी स्कूल में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर उसके नाम से 11,000 रूपये की राशि।
- बालिका के किसी भी सरकारी स्कूल में कक्षा 12 पास करने पर उसके नाम से 25,000 रूपये की राशि।

निर्माण मजदूर योजना

असंगठित क्षेत्र के भवन निर्माण श्रमिकों को नियोजन और सेवा शर्तों को विनियमित करने और उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य व कल्याण के उपाय के उद्देश्य से भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवाशर्त विनिमन) अधिनियम, 1996 बनाया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत अन्य प्रावधानों के अतिरिक्त निर्माण श्रमिकों का हिताधिकारी के रुप में पंजीनयन करने और योजनाएं संचालित करने के लिये राज्यों में कल्याण मंडल गठित किये जाने के प्रावधान किये गये है। राज्य में 2009 में राज्य नियम अधिसूचित किये जाने के पश्चात् ''भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल'' गठित किया गया, जिसके द्वारा निर्माण श्रमिकों का हिताधिकारी के रुप में पंजीनयन किया जाता है तथा उनके कल्याण की विभिन्न योजनायें संचालित की जाती है।

कुछ सामान्य जानकारियां

- निर्माण श्रमिक वह है जो भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य (मनरेगा में कार्य करने वाले मजदूर भी) में श्रमिक के रूप में काम कर रहे है।
- हिताधिकारी निर्माण श्रमिक वह है जिसने अपना पंजीयन, मण्डल में हिताधिकारी के रुप में करा लिया है।
- निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण-पत्र जिस निर्माण कार्य पर श्रमिक द्वारा कार्य किया गया हो, उसके नियोजक द्वारा अथवा निर्माण कार्य के ठेकेदार द्वारा अथवा पंचायत प्रसार अधिकारी/ग्राम पंचायत सचिव अथवा निर्माण श्रमिक यूनियन के पदाधिकारी अथवा श्रम निरीक्षक द्वारा दिया जा सकता है।
- हिताधिकारी बने रहने के लिए प्रत्येक वर्ष कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रुप में कार्य करना आवश्यक है।
- निर्माण श्रमिक - निर्माण श्रमिक से आशय उस व्यक्ति से है जो किसी भवन अथवा

संनिर्माण कार्य में कुशल, अर्धकुशल या अकुशल श्रमिक के रुप में शारीरिक, सुपरवाइजरी, तकनीकी या लिपिकीय कार्य, वेतन अथवा पारिश्रमिक के लिए कार्य करता है।

25. निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य बीमा योजना

सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को राज्य सरकार की भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित करने के लिए प्रीमियम राशि का भुगवान मण्डल द्वारा राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी को दिया गया है।

पात्रता - सभी पंजीकृत हिताधिकारी व उनके परिवार के सदस्य

आवश्यक दस्तावेज

- पंजीयन परिचय पत्र (मजदूर डायरी)।
- भामाशाह कार्ड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड।

सहायता राशि - सामान्य बीमारियों में 30 हजार रुपये तक और चिन्हित गम्भीर बिमारियों में 3 लाख रुपये तक वार्षिक नि:शुल्क इलाज की सुविधा (बीमा कवर)।

मान्य अस्पतालों की सूची www.rajswasthya.nic.in/baby.html पर उपलब्ध है।

26. निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना

हिताधिकारियों के बच्चों की शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और इन्जिनियरिंग व मेडिकल आदि प्रोफेशनल शिक्षा के लिये छात्रवृति तथा मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि।

पात्रता

- पंजीकृत हिताधिकारी के पुत्र/पुत्री/पत्नी।
- अधिकतम दो बच्चों को छात्रवृति देय परन्तु मेधावी प्रोत्साहन के लिए सीमा नहीं।
- सरकारी अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त षिक्षण/प्रषिक्षण संस्थान में नियमित अध्ययनरत हो।
- छात्रवृति सुसंगत परिक्षा उत्तीर्ण करने पर देय/प्रोत्साहन राशि के लिए निर्धारित प्रतिशत अंक या ग्रेड प्राप्त करना आवश्यक ।

सहायता राशि

कक्षा 6 से आगे तक की शिक्षा के लिए 8 हजार से 25 हजार रुपये तक की छात्रवृति तथा मेधावी बच्चों को कक्षा 8 से आगे तक 4 हजार से 35 हजार तक प्रोत्साहन राशि।

आवेदन की समय सीमा -

परीक्षा उत्तीर्ण करने से 6 माह अथवा 31 मार्च तक।

अधिक जानकारी के वेबसाईट rsldc.rajasthan.gov.in पर जाये।

27. निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना

हिताधिकारियों को सरकार अफोर्डेबल हाऊसिंग योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आवास योजना अथवा केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य किसी आवास योजना में आवास प्राप्त करने अथवा स्वयं का घर बनाने के लिए अनुदान।

पात्रता

- 6 माह से पंजीकृत हिताधिकारी हो।
- सरकार की आवास योजना के अर्न्तगत आवास प्राप्त करने की शर्तें व पात्रता पूरी करता हो।
- स्वयं के द्वारा आवास निर्माण करने की स्थिति में भूखंड स्वयं या पत्नी/पति के संयुक्त मालिकाना हक में हो या विवाद रहित हो।
- 10 वर्ष तक आवास को बेचना नहीं है।
- आवास अनुदान जीवन काल में एक बार में देय है। पति व पत्नी दोनों के हिताधिकारी होने की स्थिति में एक ही आवास के लिए अनुदान प्राप्त कर सकेगा।

आवेदन की समय सीमा

स्वयं के भूखण्ड पर आवास निर्माण तिथि से 1 वर्ष की अवधि में / सरकार की आवास योजना में आवास प्राप्त करने की पात्रता के पश्चात।

सहायता राशि

- केन्द्र या राज्य सरकार की किसी आवास योजना की शर्तों के अनुसार 1.50 लाख रुपये का अनुदान।
- स्वयं के घर का निर्माण करने पर वास्तविक निर्माण लागत का 50 प्रतिशत अथवा 1.50 लाख रुपये जो भी कम होगा का अनुदान दिया जाता है।

28. निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना

पंजीकृत हिताधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा

योजना तथा अटल पेंशन योजना में अपने बचत बैंक खाते से जमा करायी गयी प्रीमियम/अंशदान राशि की निर्धारित सीमा में मण्डल द्वारा पुर्नभरण।

पात्रता - बीमा व पेंशन योजना के पात्रताधारक सभी पंजीकृत हिताधिकारी।

आवेदन की समय सीमा -हिताधिकारी द्वारा अपने बैंक बचत खाते से अंशदान/प्रीमियम राशि जमा करने के वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष की अवधि में।

सहायता राशि

- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि 12 रु का शत प्रतिशत पुर्नभरण।
- प्रधानमंत्री जीवनज्योति बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि 330 रुपये के 50 प्रतिशत का पुनर्भरण।
- अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत 1 हजार रुपये मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए वार्षिक अंशदान को 50 प्रतिशत अंशदान राशि का पुनर्भरण (252 रु. से 1746 रुपये तक)

29. शुभ शक्ति योजना

पंजीकृत हिताधिकारियों की बालिग बेटियों को उद्यमिता से सशक्त व आत्म निर्भर बनाने हेतु प्रोत्साहन राशि।

पात्रता

- 6 माह से पंजीकृत हिताधिकारी हो।
- लड़की की आयु 18 साल पूर्ण हो गयी हो।
- अविवाहित हो तथा कक्षा 8 उत्तीर्ण हो। और अधिकतम दो पुत्रियों को देय।
- यदि स्वयं का आवास हो तो शौचालय होना आवश्यक है।

अनुदान राशि - 25 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि।

आवेदन की समय सीमा - लड़की के 18 वर्ष पूर्ण करने के उपरान्त परन्तु विवाह होने से पूर्व कभी भी।

30. सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने पर सहायता योजना

पंजीकृत हिताधिकारी की मृत्यु होने अथवा स्थायी अपंगता या घायल होने पर सहायता प्रदान करने की योजना।

पात्रता

- पंजीकृत हिताधिकारी हो।
- दुघर्टना में मृत्यु होने पर एफआईआर व पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
- सामान्य मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र।
- चिकित्सक का प्रमाण पत्र, आवश्यक होने पर।

आवेदन की समय सीमा- मृत्यु की तिथि से 3 वर्ष तक। घायल होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज होने की तिथि से 6 माह।

अनुदान राशि

- दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये।
- स्थाई अथवा आंशिक अपंगता होने पर 1 लाख रुपये।
- सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये।
- घायल होने पर 20 हजार रुपये तक की सहायता राशि।
- निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु होने पर 50 हजार रुपये।
- इसके अलावा भामाशाह निर्माण श्रमिक बीमा योजना के अन्तर्गत सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का समूह बीमा, आम आदमी बीमा योजना में कराया गया है। इस योजना में बीमाधारक को दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75 हजार, स्थाई व पूर्ण अपंगता होने पर 75 हजार, स्थाई आंषिक अपंगता होने पर 37,500 रुपये तथा सामान्य मृत्यु होने पर 30 हजार रुपये बीमा लाभ जीवन बीमा निगम द्वारा देय है।

31. प्रसूति सहायता योजना - महिला हिताधिकारियों को प्रसूति सहायता।

पात्रता

- महिला हिताधिकारी हो अथवा पंजीकृत पुरुष हिताधिकारी की पत्नी हो।
- आयु कम से कम 20 वर्ष हो।
- प्रसूति संस्थागत हो अर्थात् स्वास्थ्य केन्द्र या अस्पताल में प्रसव हुआ हो।
- सहायता दो प्रसव के लिये देय, परन्तु पंजीयन से पूर्व दो या अधिक संतान होने पर सहायता देय नहीं होगी।

आवेदन की समय सीमा- प्रसव तिथि से 90 दिन।

सहायता राशि- लड़के का जन्म होने पर 20 हजार रुपये तथा लड़की का जन्म होने पर 21 हजार रुपये।

32. सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना

पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के सिलिकोसिस से मृत्यु होने अथवा पीड़ित होने पर आर्थिक सहायता।

पात्रता

- पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो।
- सिलिकोसिस होने का प्रमाण पत्र न्यूमोकोनियोसिस मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया हो।
- रीहैब फण्ड से सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई हो तथा खान श्रमिक न हों।

आवेदन की समय सीमा - न्यूमोकोनियोसिस मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र दिये जाने की तिथि से 1 वर्ष तथा मृत्यु होने की दशा में मृत्यु तिथि से 1 वर्ष।

सहायता राशि- सिलिकोसिस पीड़ित होने पर 1 लाख रुपये तथा सिलिकोसिस से मृत्यु होने पर 3 लाख रुपये।

दस्तावेज

- हिताधिकारी परिचय पत्र, बैंक खाते का विवरण।
- न्यूमोकोनियोसिस मेडिकल बोर्ड का सिलिकोसिस संबंधी प्रमाण पत्र।

33. निर्माण श्रमिक औजार/टूलकिट सहायता योजना

पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को औजार/टूलकिट खरिदने पर मॉडल द्वारा निर्धारित सीमा में पुनर्भरण।

पात्रता

- 3 वर्ष से पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो।
- स्वयं के कार्य या व्यवसाय से संबंधित औजार खरीदने पर ही राशि देय।
- औजार/टूलकिट की खरीद स्वयं निर्माण श्रमिक द्वारा की जायेगी तथा बिल आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

आवेदन का समय - औजार/टूल किट क्रय करने के बिल की तिथि से 6 माह में।

सहायता राशि- निर्माण श्रमिक द्वारा अपने कार्य या व्यवसाय से सम्बंधित औजार/टूलकिट खरिदने पर 2 हजार रुपये अथवा वास्तविक औजार/टूलकिट का क्रय मूल्य, जो भी कम हो उसका पुनर्भरण।

34. अटल पेंशन योजना

इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन के दायरे में लाना है। इससे उन्हें हर महीने न्यूनतम भागीदारी के साथ सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर 1000 रू, 2000रू, 3000रू, 4000रू, या 5000 रुपये की स्थाई पेंशन का विकल्प चुन सकतेहै। यह योजना 1 जून, 2015 से प्रभावी है।

पात्रता- 18 वर्ष से 40 वर्ष आयु सीमा।

आवश्यक दस्तावेज- बैंक खाते का विवरण व भामाशाह कार्ड या आधार कार्ड की प्रति।

आवेदन पत्र प्राप्ति एवं जमा करने का स्थान- हिताधिकारों द्वारा वर्ष में न्यूनतम 1000रु. जमा कराने पर 1000 रु. का सहअंशदान मण्डल द्वारा देय। 60 साल की आयु पूर्ण करने पर जमा राशि के आधार पर पेंशन सुविधा।

वांगड़ मजदूर किसान संगठन

एस एफ -2 हाउसिंग कॉलोनी, लक्ष्यदीप कॉम्प्लेक्स के सामने
सदर थाना रोड, डूंगरपुर, राजस्थान - 314001

फोन - 9461120492, 9413947165
ईमेल - wagad.majdoor@gmail.com